—: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद :—

पीठासीन अधिकारी :— देवीलाल यादव (आर.ए.एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :— 132/2021

उनवान

1. भगवान सिंह पुत्र मदन सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम पीपरोली, तहसील टांटोटी
—— वादी :— जरियें अधिवकता श्री सीताराम रावत

बनाम

1. भवानी सिंह पु. शैतान सिंह जरियें वारिस
1/1. धन कंवर पत्नी भवानी सिंह,
1/2. रघुनाथ सिंह,
1/3. विक्रम सिंह पि0 भवानी सिंह,
2. गणपत सिंह पुत्र शैतान सिंह जरियें वारिस
2/1. राज कंवर पत्नी गणपत सिंह,
2/2. भंवर सिंह पुत्र गणपत सिंह,
2/3. प्रहलाद सिंह पुत्र गणपत सिंह,
2/4. कुशाल सिंह पुत्र गणपत सिंह,
2/5. गुलाब सिह पुत्र गणपत सिंह,
2/6. राम सिंह पुत्र गणपत सिंह,
3. जसवन्त सिंह पुत्र शैतान सिंह जरियें वारिस
3/1. राज कंवर पत्नी जसवन्त सिंह,
3/2. नन्द सिंह पुत्र जसवन्त सिंह,
3/3. रणजीत सिंह पुत्र जसवन्त सिंह
4. जीवण सिंह पुत्र रघुनाथ सिंह,
5. महावीर सिंह पुत्र रधुनाथ सिंह,
6. मंजू कंवर पुत्री रघुनाथ सिंह जाति राजपूत नि0 हनुवतिया, नसीराबाद,
7. आई.सी.आई.सी.आई. बैंक शाखा टांटोटी, नसीराबाद,
8. आई.सी.आई.सी.आई. बैंक शाखा नसीराबाद
9. उप पंजीयक, नसीराबाद,
10. राज0 सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद
—— प्रतिवादीगण :— 1/1 से 1/3 व 3/1 से 3/6 जरियें अधिवक्ता श्री हीरालाल माली
9 व 10 जरियें राज. पैरोकार, शेष अनुपस्थित

<u>राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 व 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955</u>

:: निर्णय ::   दिनांक :— 12.5.25

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.29 15:14:03 IST
Reason: SelfAttested

अधिवक्ता वादी ने उक्त [illegible] प्रतिवादी संख्या 1 से 6 के पूर्वज शैतान सिंह पुत्र देव सिंह की खातेदारी काश्तकारी आराजी ग्राम हनुवतिंया के जमाबंदी सन फसली 1349 के अनुसार खेवट खाता संख्या 147 रकबा 18[illegible] में स्थित

——2

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

थी। जमाबंदी सम्वत् 2015 से 2018 में उपरोक्त आराजी में से 167–13–10 भूमि शैतान सिंह के वारिस भवानी सिंह बालिग, गणपत सिंह व जसवन्त सिंह ना.बा. बसरबराही माता सुगन कंवर के नाम खातेदारी दर्ज हुयी। उक्त जमाबंदी में आराजी मुतनाजा शैतान सिंह के वारिसान के नाम संयुक्त खातेदारी दर्ज है। किन्तु आराजी मुतनाजा को त्रुटिपूर्ण तरीके से पृथक–पृथक खातों में दर्ज करते हुये वंर्किग जमाबंदी में भी घोर अवहेलना करते हुये आराजी मुतनाजा का इन्द्राज त्रुटिपूर्ण दर्ज कर दिया गया। बंदोबस्त विभाग को संयुक्त आराजी मुतनाजा के विभाजन का कोई अधिकार नही था। भवानी सिंह पुत्र शैतान सिंह के हिस्से में आयी भूमि बाबत भवानी सिंह द्वारा दिनांक 21.01.1990 को वसीयत रूबरू गवाहान वादी के हक में निष्पादित करवायी। उक्त भूमि भवानी सिंह के बंटवारे में आने के कारण उनके द्वारा वादी के पक्ष में निम्न आराजी की वसीयत निष्पादित की गयी :–

फसली सन 1349		वसीयत मे अंकित		वंर्किग जमाबंदी		हाल जमाबंदी	
1242	8–17 में से	1485	3–18	1485	0.63	2328	0.68
1260	15–02 में से	1493	0–07	1493 मि.	0.20	2329	0.20
1284	1–17 में से	1493	0–09				
1285	2–03 में से	1493	1–15–10				
1283	1–16 में से	1494	1–8–10	1493 मि.	0.23	2330	0.59
1284	1–15 में से	1494	0–16	1494	0.36		
1242	8–17 में से	1484	2–14	1484 मि.	0.37	2296	0.37
1260	15–02 में से	1475	13–16 में से	1475 मि.	0.15	2294	0.15
1260	15–02 में से	1484	0–19	1484 मि.	0.22	2295	0.22
1269	1–19–10	1465	1–19–10	1465 मि.	0.31	2284	0.31

भवानी सिंह द्वारा वरवक्त वसीयत खसरा नम्बर 1465 रकबा 1–19–10 के स्थान पर सहवन सें वंर्किग खसरा नम्बर 1464 मिन रकबा 2–10–0 अंकित कर दिया जबकि भवानी सिंह के हिस्से में खसरा नम्बर 1465 ही आया था। अतः उक्तानुसार खसरा नम्बर में दुरूस्त कर वसीयतनामा निष्पादित किया जाना माना जावे। भवानी सिंह का स्वर्गवास हो चुका है। तथा उनकी मृत्यु के बाद वसीयत प्रभावी हो गयी है। वादी वसीयत की गयी आराजी पर काबिज काश्त चला आ रहा है। उक्त आराजी पर स्वामित्व के अधिकार वादी में निहित हो गये है। उक्त वसीयत की गयी आराजी पृथक–पृथक खातों में प्रतिवादीगण के नाम दर्ज की गयी है। अतः आराजी मुतनाजा का खातेदार वादी को घोषित किया जाकर वादी के नाम विभाजन किया जावे। हाल राजस्व अभिलेख में उक्त आराजी प्रतिवादीगण के नाम दर्ज होने के कारण प्रतिवादीगण आराजी मुतनाजा पर दखलदांजी कर रहे है। अतः आराजी मुतनाजा का खातेदार वादी को वसीयत के अनुसार घोषित किया जावे। भूमि का विधिवत विभाजन किया जावे। प्रतिवादीगण को जरियें स्थायी निषेघाज्ञा पाबंद किया जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1/1 से 1/3 व 3/1 से 3/6 ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि आराजी मुतनाजा प्रतिवादीगण [illegible] पुश्तैनी है, [illegible] प्रतिवादीगण काबिज काश्त चले आ रहे है। वाद पत्र में उल्लेखित वसीयतनामा [illegible] फर्जी है। आराजी मुतनाजा भवानी सिंह की पुश्तैनी है स्व अर्जित [illegible] किया जावे। शेष प्रतिवादी प्रकरण में अनुपस्थित रहे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.29 15:14:03 IST
Reason: SelfAttested

---3

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

प्रकरण में निम्न तनकियात कायम की गयी :–

1.आया वादी वसीयतनामा के आधार पर इन्द्राज दुरूस्ती व खातेदारी प्राप्ति का अधिकारी है ?

–– वादी

2. आया वादी आराजी मुतनाजा पर विभाजन प्राप्ति का अधिकारी है ?

–– वादी

3. आया वादी द्वारा प्रस्तुत वसीयतनामा फर्जी व कूटरचित होने से वाद खारिज योग्य है ?

4. अनुतोष ?

अधिवक्ता वादी ने वाद के समर्थन में राजस्व अभिलेख, वसीयतनामा पेश किये तथा वादी भगवान सिंह व गवाह यज्ञप्रताप सिंह के बयान कराये।

अधिवक्ता प्रतिवादीगण को समुचित अवसर देने के उपरान्त भी साक्ष्य पेश नही करने के कारण साक्ष्य बंद की गयी।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता वादीगण व राज. पैरोकार की बहस पर मनन किया।

तनकी संख्या 1 व 2 :–

आराजी मुतनाजा अलग–अलग खातों में प्रतिवादीगण की खातेदारी में हाल राजस्व अभिलेख में दर्ज है। वसीयत में अंकित वंर्किग खसरा नम्बर 1493, 1494, 1475 भवानी सिंह व अन्य की संयुक्त खातेदारी में है। शेष खसरा नम्बर जो वसीयत में अंकित है भवानी सिंह के नाम दर्ज नही है। वादी का कथन है कि चौसाला जमाबंदी का इन्द्राज वंर्किग जमाबंदी में त्रुटिपूर्ण अंकित कर दिया किन्तु वादी द्वारा प्रस्तुत वसीयत निष्पादन दिनांक को वंर्किग खसरा नम्बर ही प्रचलन में थे। चौसाला जमाबंदी से वंर्किग जमाबंदी के इन्द्राज पर प्रतिवादीगण द्वारा कोई आपत्ति नही उठायी गयी है, ऐसी स्थिति में आराजी मुतनाजा के हाल इन्द्राज को त्रुटिपूर्ण नही कहा जा सकता है।। वसीयत में उक्त इद्राज त्रुटिपूर्ण होने का कोई अंकन नही है। वसीयत निष्पादन दिनांक कों राजस्व अभिलेख की स्थिति खसरा नम्बर का पूर्ण मिलान नही होता है। वादी ने अपने वाद पत्र में स्वयं माना है कि आराजी मुतनाजा प्रतिवादीगण की पुश्तैनी है। मृतक भवानी सिंह के वारिस प्रतिवादी संख्या 1 से 3 ने वाद पत्र का खण्डन किया है। आराजी मुतनाजा भवानी सिंह की पुश्तैनी होने के कारण व स्व अर्जित नही होने से प्रतिवादी संख्या 1 से 3 का भवानी सिंह की आराजी पर हक व अधिकार निहित है। भवानी सिंह को स्व अर्जित सम्पति की वसीयत करने का कोई विधिक अधिकार नही है। अतः तनकी विरूद्व वादीगण निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 3 :–

तनकी संख्या 1 व 2 के विवेचन के अनुसार आराजी मुतनाजा का वर्तमान इन्द्राज त्रुटिपूर्ण सिद्व नही होता है तथा वादी आराजी मुतनाजा पर खातेदारी प्राप्त करने का अधिकारी नही है। वादी का कथन है कि भवानी सिंह द्वारा वरवक्त वसीयत खसरा नम्बर 1465 रकबा 1–19–10 के स्थान पर सहवन सें वंर्किग खसरा नम्बर 1464 मिन रकबा 2–10–0 अंकित कर दिया जबकि भवानी सिंह के हिस्से में खसरा नम्बर 1465 ही आया था। अतः उक्तानुसार खसरा नम्बर में दुरूस्त कर वसीयतनामा निष्पादित किया जाना माना जावे। किन्तु वसीयत निष्पाद[illegible] द्वारा वसीयत में संशोधित नही किया जा सकता है। वादी द्वारा प्रस्तुत वसी[illegible] ही गवाह के हस्ताक्षर है अन्य गवाह के हस्ताक्षर का स्थान रिक्त [illegible] मुतनाजा पुश्तैनी होने व वसीयतकर्ता के विधिक वारिस [illegible] खातेदारी प्रापत करने का अधिकारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.29 15:14:03 IST
Reason: SelfAttested

––4

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

नही है।

उक्तानुसार ग्राम हनुवंतिया के हाल खसरा नम्बर 2284, 2295, 2296, 2328, 2294, 2329, 2330की आराजी पर वादी का वाद **"खारिज"** किया जाता है। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की पर्चा डिकी जारी हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.29 15:14:03 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकदमें इब्ताई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान

भगवान सिह बनाम भवानी सिंह वगै.

दावा बाबत :– 53, 88 188, 92ए राज. का. अधि0 1955

राजस्व मुकदमा नम्बर –132/2021
पेश करने की दिनांक –03.11.2021

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू देवीलाल यादव (आर. ए. एस)–व हाजिर अभिभाषक सीताराम रावत मुद्दई हीरालाल माली वराज0 पैरोकार अभिभाषक मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :–

ग्राम हनुवंतिया के हाल खसरा नम्बर 2284, 2295, 2296, 2328, 2294, 2329, 2330 की आराजी पर वादी का वाद **"खारिज"** किया जाता है। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक———— को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक माह सन् 2025 को जारी की गयी।

मुददई	मुदायला
स्टाम्प अरजी दावा	स्टाम्प वकालतनामा
स्टाम्प वकालतनामा	स्टाम्प अरजी
स्टाम्प वजह सबूत	मेहनताना वकील
मेहनताना वकील	खर्चा गवाहान
फीस कमिश्नर	फीस कमिश्नर
खर्चा गवाहान	बाबत् इजराय हुक्मनामा
बाबत् इजराय हुक्मनामा	मुतफरिक
मुतफरिक	

मिजान मिजान

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.29 15:14:03 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद